राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5372/2024

माला राम पुत्र पेमा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गांव पनोरिया, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। (वर्तमान में जिला जेल, बाड़मेर में बंद) ---- याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से ---- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री सिद्धार्थ करवासरा।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री विक्रम राजपुरोहित, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

04/09/2024

आवेदन आई.ए. संख्या 1/2024

1. शीघ्र सुनवाई की मांग करने वाले आवेदन में बताए गए कारणों से, इसे अनुमति दी जाती है।

2. मामले को आदेश के लिए लिया जाता है।

1. इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत सत्र प्रकरण संख्या 259/2024 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, बाड़मेर द्वारा पारित दिनांक 26.07.2024 का आदेश है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (जिसे आगे 'बीएनएसएस' के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 94 के तहत दायर आवेदन, जिसमें चार गवाहों के कॉल विवरण को बुलाने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिका से संबंधित तथ्य पहले। याचिकाकर्ता ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 94 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें गवाहों सेंधा राम, इशरा राम, रमेश और रतन लाल के कॉल विवरण मांगे गए थे, जिसमें साक्ष्य के समय उचित चरण में उनके स्थानों पर भरोसा किया जाना शामिल था। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामला ट्रायल चरण में है, और पीडब्लू/1 सेंधा राम, पीडब्लू/4 इशरा राम, पीडब्लू/6 रमेश और पीडब्लू/7 बीजला के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने कांस्टेबल रमेश और रतन लाल को उनके बयानों के लिए बुलाया है। जिरह के दौरान, सेंधा राम, इशरा राम, रमेश और रतन लाल ने अलग-अलग स्थानों पर अपनी उपस्थिति स्वीकार की। इन बयानों को सत्यापित करने के लिए, याचिकाकर्ता का तर्क है कि उचित न्यायनिर्णयन के लिए कॉल विवरण प्राप्त करना आवश्यक है।

2.1 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का दावा है कि एसएचओ सूरजभान सिंह, जो जांच अधिकारी थे और विभिन्न ज्ञापनों को निष्पादित करते थे, इन दस्तावेजों की तैयारी के दौरान मौजूद नहीं थे। इसलिए, याचिकाकर्ता गवाहों सेंधा राम, इशरा राम, रमेश और रतन लाल के कॉल विवरण का अनुरोध करता है।

2.2 विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, दिनांक 26.07.2024 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया। इसलिए

यह याचिका।

3. सुनवाई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने केवल इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया है कि कॉल विवरण के माध्यम से गवाहों के बयानों को मान्य करने के लिए बीएनएसएस की धारा 94 को लागू नहीं किया जा सकता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि उनके कॉल विवरण और स्थान विवरण प्रस्तुत किए जाने आवश्यक थे। यदि उक्त विवरण साक्ष्य में नहीं लाए जाते हैं, तो उनका मामला खतरे में पड़ जाएगा और उन्हें गंभीर नुकसान होगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि अब एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। विभाग के लिए कॉल विवरण प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दूरसंचार/मोबाइल कंपनी की तारीख का रिकॉर्ड कुछ समय बीतने के बाद खुद ही नष्ट हो जाता है।

6. मैंने केस फाइल का अवलोकन किया है। आगे बढ़ने से पहले, आइए हम पहले धारा 94 देखें, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "धारा 94. दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए समन।
>
> (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यह समझता है कि इस संहिता के अंतर्गत किसी

जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष कोई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संचार, जिसमें संचार उपकरण शामिल हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्य या अन्य वस्तु होने की संभावना है, प्रस्तुत करना आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय समन जारी कर सकता है या ऐसा अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, चाहे भौतिक रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या वस्तु होने का विश्वास है, उपस्थित होने और उसे प्रस्तुत करने या उसे प्रस्तुत करने के लिए समन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर बुला सकता है।

(2) इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति से केवल दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, तो यह माना जाएगा कि उसने मांग का अनुपालन किया है, यदि वह ऐसे दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय उसे प्रस्तुत करवाता है।

(3) इस धारा की कोई भी बात-

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 या बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) की धारा 129 और 130 को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या

(ख) डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।"

7. उपर्युक्त के अवलोकन से यह पता चलता है कि बीएनएसएस की धारा 94 केवल न्यायालय अथवा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के कहने पर ही लागू की जा सकती है, जो किसी भी स्थिति में न्यायालय के लाभ के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज पर विचार कर सकता है। इस प्रकार, अभियुक्त के लिए बीएनएसएस की धारा 94 लागू करना संभव नहीं था। मेरा यह भी मानना है कि तकनीकी रूप से, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने धारा 94 के तहत दायर आवेदन को खारिज करके कानून में कोई अनियमितता नहीं की है।

8. हालांकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, मेरा यह विचार है कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, याचिका को अन्यथा गुण-दोष के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

9. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत, इस न्यायालय के पास निहित शक्तियां हैं और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश देने का एक संगत कर्तव्य है।

10. याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत गंभीर आरोप है और वह विचाराधीन है। यदि उसे दोषी ठहराया जाता है, तो उसे मृत्युदंड और/या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साक्ष्य प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या लापरवाही से न्याय की विफलता होगी और अभियुक्त के बचाव को गंभीर रूप से जोखिम में डाला जा सकता है।

11. न्यायालय के प्रश्न पर यह पता चला कि वर्तमान में अभियोजन पक्ष की गवाही ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की जा रही है। कार्यभार को देखते हुए, ऐसा हो सकता है कि बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण में, देरी के कारण, कॉल विवरण और स्थान विवरण, जिन्हें अभियुक्तों को अपने साक्ष्य में प्रस्तुत करने की

सलाह दी गई है, उस मोबाइल नेटवर्क के सेवा प्रदाता के डेटा बैंक से हटा दिए जाएं, जिसके अभियुक्त और अन्य गवाह ग्राहक हैं।

12. बीएनएसएस की धारा 95 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

> (1) यदि डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या वस्तु, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में, इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए वांछित है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय डाक प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह दस्तावेज, पार्सल या वस्तु को ऐसे व्यक्ति को सौंप दे, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे।
>
> (2) यदि ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या वस्तु, किसी अन्य मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में, ऐसे किसी प्रयोजन के लिए वांछित है, तो वह डाक प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे दस्तावेज, पार्सल या वस्तु की तलाशी कराए और उसे उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश तक रोके रखे।

13. धारा 95, सुप्रा, इस प्रकार न्यायालय को डाक अधिकारियों को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश देने की अनुमति देती है जो किसी लंबित मुकदमे से संबंधित हों। यह धारा स्पष्ट रूप से न्यायालयों को ऐसे अभिलेखों के संरक्षण और प्रस्तुतीकरण का आदेश देने का अधिकार देती

है, भले ही दस्तावेज अभियुक्त की हिरासत में हों या नहीं। धारा 95 के अनुसार, न्यायालय सेवा प्रदाताओं को बचाव चरण से पहले भी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने और बनाए रखने का निर्देश दे सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आवश्यकता पड़ने पर ये दस्तावेज उपलब्ध हों। इस प्रकार यह प्रावधान याचिकाकर्ताओं की उस दलील का समर्थन करता है कि अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाए ताकि बाद में समय बीतने के कारण उन्हें नष्ट होने से बचाया जा सके।

13.1. मेरा विचार है कि आधुनिक समय के संदर्भ में, डाक प्राधिकरण को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि इसमें दूरसंचार प्राधिकरण भी शामिल हो जो एक समान सेवा प्रदाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को अपने उपभोक्ताओं की ओर से संरक्षित करता है और उन्हें वितरित करता है। तदनुसार, कोई भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक डेटा या कोई वस्तु, जो अभियुक्त की अभिरक्षा में नहीं है, बल्कि तीसरे पक्ष, यानी डाक प्राधिकरण या टेलीग्राफ/दूरसंचार प्राधिकरण/सेवा प्रदाता के पास है, लेकिन साथ ही, यह लंबित मुकदमे के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, उसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है।

14. यदि बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण तक पहुंचने तक, कॉल विवरण और स्थान विवरण, जिन्हें अभियुक्तों को अपने साक्ष्य में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है, मोबाइल नेटवर्क के सेवा प्रदाता के डेटा बैंक से पहले ही हटा दिए गए हैं, तो याचिकाकर्ता अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के मूल्यवान अवसर से वंचित हो जाएगा और इस प्रकार उसके बचाव में गंभीर रूप से पक्षपात होगा।

15. यह सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन प्रक्रिया न्याय की दासी है, इसलिए इसे न्याय को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रक्रियात्मक नियम न्याय को सुगम बनाने के लिए होते हैं, न कि उसे बाधित

करने के लिए। यदि प्रक्रियात्मक नियमों का सख्ती से पालन करने से साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं और अभियुक्तों को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं मिलता है, तो न्यायालय को मानदंड से विचलित होने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए कि प्रक्रियात्मक देरी के परिणामस्वरूप कोई अन्याय न हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को खोने से पहले संरक्षित करने की अनुमति देना प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए आवश्यक है।

16. इसके अलावा, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आपराधिक अभियोजन में अपना बचाव करने का अधिकार शामिल है। कॉल विवरण और स्थान रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने की अभियुक्त की क्षमता से वंचित करना इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अभियोजन पक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करे। इसी तरह, अभियुक्तों को सबूतों का विरोध करने और अपना बचाव प्रस्तुत करने का हर उचित अवसर दिया जाना चाहिए। कॉल और स्थान विवरण जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य को सुरक्षित रखने में विफलता अभियुक्त की बचाव करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करती है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा कमज़ोर होती है। न्यायालय न्याय की विफलता से बचने के लिए बाध्य हैं। प्रक्रियात्मक देरी के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य को खोने देने से भी अनुचित सुनवाई होगी, जिससे गलत दोषसिद्धि या कठोर दंड (इस मामले में आजीवन कारावास या यहां तक कि मृत्युदंड भी शामिल है) हो सकता है। बचाव के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य (जो किसी तीसरे पक्ष के पास है) को सुरक्षित न करके, न्यायालय अनजाने

में अभियोजन पक्ष के पक्ष में संतुलन को झुका देगा, जिससे असमानता पैदा होगी जिसे दूर किया जाना चाहिए।

17. मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के आवेदन को बीएनएसएस की धारा 95 के तहत एक आवेदन के रूप में मानते हुए, इसे अनुमति दी जाती है। यह निर्देश दिया जाता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द आवेदन में उल्लिखित गवाहों यानी सेंधा राम, इशरा राम, रमेश और रतन लाल के कॉल विवरण और स्थान विवरण प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया जारी करेगा और उनके सबूत और बचाव पक्ष के साक्ष्य के रूप में उत्पादन की अनुमति देगा, भले ही ट्रायल अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में हो। कहने की जरूरत नहीं है, अगर उपरोक्त विवरण पहले से ही सेवा प्रदाता के डेटा बैंक से मिटा दिए गए हैं, तो भाग्य प्रबल होगा। याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है।

18. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।